

प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03 (एम0पी0एम0एल0ए0) बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प में
ई-सर्विसेज पोर्टल पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण के संबंध में-


महोदय,

ससम्मान निवेदन यह है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करते हुए ई-सर्विसेज पोर्टल पर अपना प्रार्थनापत्र मय विकल्प-पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर यह आपत्ति प्राप्त हुई कि विकल्प-पत्र वर्तमान सेवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से संबंधित विवरण के साथ ही ई-सर्विसेज पोर्टल पर तथा पंजीकृत डाक से भेजा जाए तथा पूर्व सेवा में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 10219/IV-F-82 पेंशन/एडमिन (ए) दिनांक 29.07.2024 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

मेरे द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो कि प्रार्थी की वर्तमान सेवा है, से संबंधित विवरण विकल्प पत्र में भरकर माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित किया जा रहा है तथा मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 10219/IV-F-82 पेंशन/एडमिन (ए) दिनांक 29.07.2024 के अनुपालन में अपनी प्रथम नियुक्ति के विभाग (अभियोजन विभाग) को भी पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प-पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आदर सहित।

भवदीय,



(प्रशान्त मित्तल)

दिनांक-23-08-2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03,
(एम0पी0एम0एल0ए0) जनपद बिजनौर

संलग्नक-विकल्प-पत्र

Letter no.:- 5828/24-08-2024
Forwarded to Hon'ble High Court

Dist. Judge,
Bijnor

घोषणा-पत्र

मैं प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर—

नाम— प्रशान्त मित्तल

पदनाम—अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०)
बिजनौर।

जे. ओ. कोड यू०पी० 6174

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

~~Signature~~
Judge


शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 11 जुलाई, 2024 का
संलग्नक

विकल्प-पत्र

1- नाम	प्रशान्त मित्तल
2- वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर।
3- वेतनमान	जे 5-1,44,840-1,94,660/- रूपये
4- वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5- राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6- विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवम्बर 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26-05-2006
8- योगदान की तिथि	21-06-2006
9- जन्मतिथि	28-08-1977
10- सेवानिवृत्ति की तिथि	31-08-2037

मैं, प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार शासनादेश संख्या 14/2024/सा
-3-243/दस-2024/301(1) /2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन
योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम
समझा जाये।

हस्ताक्षर-


23/8/24

नाम- प्रशान्त मित्तल

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०)
बिजनौर।